अज अदालत सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी संगरिया

हीरालाल वगैरा बनाम राजेश्वरी वगैरा

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र 212 आरटीए

नं. 45 सन् 2024

वकील प्रार्थी :– श्री कुलदीप मूण्ड

वकील अप्रार्थी–

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इमिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
21.6.24	अधिवक्ता प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। बहस एक पक्षीय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया की प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि गई तो प्रार्थी को अपूर्णीयक्षति होगी। अतः एक पक्षीय बहस उपरान्त प्रार्थीया के शपथ पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 13 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि जवाब पेश होने तक तहसील संगरिया के चक 4 पीटीपी के खाता संख्या 56 / 38 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में विवादित साझा खाता की कृषि भूमि का खाता अलग कायम करवाये बिना भूमि को अवैध तरीके से अन्तरित करने, करवाने एवं रहन बैय करने से निषेध रहे। इस सम्बन्ध में कोई उज्र / एतराज हो तो वकालतन / असलतन आगामी तारीख पेशी तक पेश करे। वकील प्रार्थीया रजिस्टर्ड ए.डी. लिफाफा मय नोटिस तलवाना 3 तीन दिवस में रसीदे पेश करें। इसके अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिंनाक 22/7/24 को पेश हो।	
22.7.24	प्रा० पत्र मूल वाद के साथ [illegible] पूर्वानुसार दिनांक 3.9.24 को पेश हो।	
3/9/24	वकुलाए फरीकेन उपस्थित। PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दिनांक 15/10/24 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.10.30 10:05:20 IST
Reason: SelfAttested

15.10.24

प्रा० पत्र मुल वाद के संलग्न पेश हुआ। चुंकि मुल वाद Not press में खारिज हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र अं. आ. 212 RTA अनवानी हीरालाल बनाम राजेश्वरी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार नं. से कम की जाकर मुल वाद के संलग्न दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.10.30 10:05:20 IST
Reason: SelfAttested